"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017—भाद्रपद 4, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

संशोधन अधिसूचना

क्रमांक एफ -9-25/2016/1/5. — चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा व्यवसाय विनियमन के प्रवर्तन के पूर्व मसौदा पर जनसामान्य से सुझाव/टिप्पणी ऑनलाईन आमंत्रण तथा उन्हें संकलित कर उनके समावेशन की कार्यवाही के संदर्भ में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 जून 2016 में निम्नानुसार जोड़ता है :-

"संबंधित विभाग उनकी विभागीय वेबसाईट पर उक्त प्रक्रिया के साथ-साथ समानांतर रूप से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परामर्श प्रक्रिया हेतु प्रवर्तित एकीकृत वेबसाईट "JanMat.cg.nic.in" पर ऑनलाईन कार्यवाही किया जाए"

यह एकीकृत वेबसाईट "JanMat.cg.nic.in" व्यवसाय विनियमन निर्माण एवं संशोधन में पारदर्शिता लाने, एक ही स्थान प्रस्तावों/निर्णयों को उपलब्ध कराने तथा जन सामान्य की समावेशी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है.

यह संशोधन जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.